

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) ... 34407017

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मुकेश कुमार उन्वान
बनाम शिवशंकर शर्मा

दावा बाबत ... माम. सुरक्षा 41888RTN

मुकदमा नम्बर :- 97/2022

निर्णय दिनांक :- 01.06.2022

वादी की ओर से की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.06.2022 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपंटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -
खास वादी मुकेश कुमार शर्मा पुत्र गणेश शर्मा 34407017 की उपस्थिति में खतान 98 खतान 917, 921 खतान नं. 190 खतान नं. 1246/144 में अर्जित खीराजा प्रुत्र इन्डचर के बजाय मुकेश कुमार पुत्र इन्डचर को जाने की घोषणा की जाती है। तब पीरोकार यद् उस्ताइय रपुख खीरा के उपर दावा प्रुत्र चारी के प्रुत्र के अर्जित आपाधिक प्रुत्र है वादी नाम को हार करेगा।
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगा।

यह आज तारीख 01.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़



सि. नं. 3 2345
01/06/22